राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2305/2025

लख्मी चन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बसेड़ी, जिला धौलपुर।
5. गुलाब, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परियोजना बसेड़ी, जिला धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.03.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामेश्वर गुर्जर, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.03.2025 को (अनुलग्नक–1) चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी को अधिकरण में दायर अपील संख्या 1564/2025 गुलाब सिंह बनाम शासन सचिवालय महिला बाल विकास विभाग में इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2025 के मध्य नजर आलौच्य आदेश द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय आईसीडीएस जयपुर में उपस्थिति हेतु आदेशित किया गया है।

इस क्रम के प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा परियोजना भैंसरोड़गढ़ चित्तोड़गढ़ से परियोजना बसेड़ी धौलपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 गुलाब के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। गुलाब का स्थानान्तरण परियोजना बसेड़ी धौलपुर से परियोजना भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में अपीलार्थी लखमी चंद के स्थान पर किया गया है। गुलाब द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश को चुनौती हेतु एक अपील दायर करने पर अधिकरण ने अपील संख्या 1564/2025 गुलाब बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 25.02.2025 द्वारा यह आदेशित

किया है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के चार सप्ताह के आख्यात्मक आदेश से प्रत्यर्थी विभाग अभ्यावेदन का निस्तारण कर अपीलार्थी को सूचित करेगा। अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किए जाने तक स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। गुलाब की उक्त अपील में पारित आदेश के मध्य नजर प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश दिनांक 12.03.2025 जारी कर अपीलार्थी का पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय आईसीडीएस में रखा गया है, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 गुलाब सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील 1564/2025 में पारित आदेश की अनुपालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारित किए जाने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 04.04.2025 प्रस्तुत किया गया। गुलाब द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निम्नानुसार किया गया है। ''अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होते हुए अपीलार्थी का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है तथा उसका स्थानान्तरण लगभग 600 कि.मी. दूर किया गया है तथा उनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी सही नहीं है। अतः अपीलार्थी का निकटतम जिला करौली में किसी रिक्त चतुर्थ कर्मचारी के पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान में स्थानान्तरण राज्य सरकार का प्रतिबंध है। अतः श्री गुलाब को परियोजना करौली में रिक्त पद पर स्थानान्तरित करने के नए प्रतिबंध में शिथिलन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों के साथ अपीलार्थी के अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है।'' उक्त आदेश के अवलोकन के स्पष्ट है कि गुलाब को परियोजना करौली में रिक्त पद पर स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। परंतु वर्तमान में स्थानान्तरण में शिथिलन होने के कारण प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी विगत 23 सालों से चित्तोड़गढ़ जिले में कार्यरत है और वह क्षय रोग से ग्रसित है। (अनुलग्नक–3) और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण उसका गृह जिले धौलपुर में स्थानान्तरण हुआ था। यह भी निवेदन किया गया है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 गुलाब सिंह का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परियोजना करौली में पदस्थापन करने का निर्णय लिया गया है, ऐसी दशा में परियोजना बसेड़ी धौलपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त होने से अपीलार्थी के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश की क्रियान्वति संभव है।

उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में अपील का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय के अनुसार निजी प्रत्यर्थी गुलाब का पदस्थापन परियोजना करौली में रिक्त पद पर किए जाने में

स्थानान्तरण पर प्रतिबंध बाधक नहीं होगा। प्रत्यर्थी विभाग इस संबंध में गुलाब का स्थानान्तरण परियोजना करौली में करने के लिए स्वतंत्र होगा और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 की अनुपालना में परियोजना बसेड़ी धौलपुर में कार्यग्रहण कराया जावे, जिससे दोनों कार्मिकों की सेवाएं रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सके।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष